पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 का आपराधिक आवेदन (एसजे) संख्या 1628

वर्ष 2018 का थाना कांड संख्या 8 से उत्पन्न थाना महिला थाना, जिला- सिवान

==========

रमेश यादव, धोधा यादव का पुत्र उर्फ धोना राय, निवासी, गाँव-एगेन मथिया, थाना -गोराकोठी, जिला-सिवान

.... अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.... उत्तरदातागण

==========

भारतीय दंड संहिता- धारा 376, पॉक्सो अधिनियम धारा 4 और 8- कानून के तय किए गए सिद्धांत-एक बच्चा सक्षम गवाह हो सकता है यदि वह पूछे गए प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है-पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में तर्कसंगत रूप से गवाही दी वादी ने पीड़िता को खून बहने की स्थिति में पाया-पीड़ित और परिवार के सदस्यों के लिए झूठा आरोप लगाने का कोई कारण नहीं-अन्य गवाहों ने भी पीड़ित के खून बहने की स्थिति में होने के तथ्य का समर्थन किया। (पैरा-11,12)

एफ. एस. एल. जांच में पीड़ित के कपड़ों पर खून के धब्बे पाए गए-अभियोजन पक्ष के आरोप का समर्थन करने वाले चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा पीड़ित के शरीर पर निजी अंगों सहित चोटें पाई गईं। (पैरा-15,16)

मृत या जीवित शुक्राणुओं की अनुपस्थिति-बलात्कार का आरोप गलत नहीं-निर्णय और आदेश उचित और कानूनी होगा- शुन्य हस्तक्षेप अपील खारिज कर दी गई। (पैरा-17,18)

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 का आपराधिक आवेदन (एसजे) संख्या 1628

वर्ष 2018 का थाना कांड संख्या 8 से उत्पन्न थाना महिला थाना, जिला- सिवान

==========

रमेश यादव, धोधा यादव का पुत्र उर्फ धोना राय, निवासी, गाँव-एगेन मथिया, थाना -गोराकोठी, जिला-सिवान

.... अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.... उत्तरदातागण

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री अजय कुमार पांडे, अधिवक्ता,

राज्य के अधिवक्ता : श्री बिनय कृष्ण, सहायक लोक अभियोजक,

सूचना देने वाले के लिए : श्री उदित नारायण सिंह, अधिवक्ता।

==========

कोरमःमाननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

सीएवी निर्णय

तारीखः16-02-2024

1. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। राज्य के लिए एपीपी सहायक लोक अभियोजक और सूचना देने वाले के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-**VI**-सह-विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, सिवान द्वारा 2018 के सिवान महिला थाना मामला संख्या 08 से उत्पन्न वर्ष 2019 का विशेष पॉक्सो मामला संख्या 73 के संबंध में पारित दोषी ठहराए जाने के निर्णय दिनांक 18.11.2021 और सजा के आदेश दिनांक 15.12.2021 के खिलाफ दायर की गई है, और जिसके तहत अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (इसके बाद आई. पी. सी. के रूप में संदर्भित) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (आई. पी. सी.) की धारा 4 और 8 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। इसके बाद पॉक्सो अधिनियम के रूप में संदर्भित) और आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 10 (दस) साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 10,000/- रूपये जुर्माने का भुगतान, पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 6 (छह) महीने के कठोर कारावास और 7 (सात) साल के कठोर कारावास से गुजरना और 5000/- रुपये जुर्माना और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर 3 (तीन) महीने के कठोर कारावास और पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 3 (तीन) साल के कठोर कारावास से गुजरना होगा और 5000/- रुपये जुर्माना और जुर्माने का भुगतान न करने पर 3 (तीन) महीने के कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी और सभी सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है।

3. अपीलार्थी रमेश यादव ने आई. पी. सी. की धारा 376, पॉक्सो अधिनियम की धारा 4,6,8 और 12 और एस. सी./एस. टी. अधिनियम की धारा 3 (1) (डब्ल्यू) **(ii)** और 3 (2) (वी. ए.) के तहत दर्ज 2018 के सीवान महिला थाना मामला संख्या 08 के संबंध में मुकदमे का सामना किया है और उन पर आई. पी. सी. की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 8 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया था और उनके मुकदमे के परिणामस्वरूप उन्हें दोषी ठहराया गया था लेकिन अपीलार्थी को धारा 3 (1) (डब्ल्यू) के तहत दंडनीय अपराध से बरी कर दिया गया था। **(ii)** और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के 3 (2) (वी. ए.)।

4. अभियोजन पक्ष का साक्ष्य लेने और अपीलार्थी की जांच करने के बाद, विद्वत निचली अदालत ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 8 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी ठहराया और उसे ऊपर उल्लिखित तरीके से सजा सुनाई।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि निचली अदालत के समक्ष, सबसे महत्वपूर्ण गवाह 'एक्स' और 'वाई' (पीड़ित की पहचान गुप्त रखने के उद्देश्य से उनके नामों का खुलासा नहीं किया जा रहा है), जिनके बारे में कहा जाता है कि वे कथित घटना के संबंधित समय तथाकथित पीड़ित के साथ मौजूद थे, निचली अदालत के समक्ष उनकी जांच नहीं की गई थी और पीड़ित, जिसकी पी. डब्ल्यू. 1 के रूप में जांच की गई थी, वह एक सक्षम गवाह नहीं थी और वह एक प्रशिक्षित गवाह भी थी, लेकिन तब भी, विद्वान निचली अदालत ने उसके बयान और डॉ० रीता द्वारा दिए गए चिकित्सा साक्ष्य पर भरोसा किया। सिन्हा (पीडब्लू 8) अभियोजन पक्ष के आरोप का समर्थन नहीं करती हैं क्योंकि उनके साक्ष्य के अनुसार, तथाकथित पीड़ित के निजी हिस्से में कोई भी शुक्राणु मृत या जीवित नहीं पाया गया था, जिसकी कथित घटना के उसी दिन चिकित्सकीय जांच की गई थी और प्राथमिकी केवल सरकार से मुआवजा प्राप्त करने के इरादे से दर्ज की गई थी। यह आगे तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी को गाँव की राजनीति और शत्रुता के कारण कथित घटना में घसीटा गया था और अभियोजन पक्ष के सभी निजी गैर-आधिकारिक गवाह इच्छुक गवाह हैं और उन्होंने निचली अदालत के समक्ष विरोधाभासी तथ्यों को समर्पित किया।

6. इसके विपरीत, विद्वान एपीपी सहायक लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया है कि बलात्कार की कथित घटना इस अपीलार्थी द्वारा साढ़े तीन साल की नाबालिग लड़की के साथ की गई थी और उसके खिलाफ आरोप को पीडब्लू 8 द्वारा दिए गए चिकित्सा साक्ष्य से समर्थन मिलता है, जो पीड़ित की जाँच की। निचली अदालत के समक्ष, पीड़ित ने प्राथमिकी में लगाए गए आरोप का पूरा समर्थन किया और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के आरोप की पुष्टि करते हैं।

7. दोनों पक्षों को सुना, आक्षेपित फैसले और निचली अदालत के मामले के रिकॉर्ड/अभिलेख में उपलब्ध सबूतों का अध्ययन किया और आरोपी के बयान का भी अध्ययन किया।

8. 13.02.2018 को लगभग 10:00 बजे दिन आरोप के अनुसार, सूचना देने वाली की नाबालिग बेटी, जिसकी उम्र लगभग साढ़े तीन साल थी, अपने गाँव के बिल्लारी चौर में प्रकृति की पुकार में भाग लेने के लिए दो बच्चों 'एक्स', जिसकी उम्र लगभग पाँच साल और 'वाई', जिसकी उम्र लगभग चार साल थी, के साथ गई और फिर लगभग बीस साल के अपीलकर्ता ने उसे जबरदस्ती अपनी गोद में उठा लिया और उसके बाद उसे एक खेत में ले गया जहाँ उसने उसके साथ बलात्कार किया। पीड़ित के साथी बच्चों 'एक्स' और 'वाई' ने पीड़ित के पिता को कथित घटना के बारे में सूचित किया और उसके बाद, मुखबिर अपनी बेटी की तलाश करने गया, फिर उसने अपनी बेटी को रोते हुए हालत में आते देखा और उस समय, पीड़ित के शरीर से खून भी बह रहा था।

9. कथित घटना को लगभग दिन 10 बजे 13.02.2018 को किया गया बताया गया है और उसी दिन शाम 6:15 बजे एफ. आई. आर. प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई जो यह दर्शाती है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन तुरंत दर्ज की गई थी और यह इसकी स्वाभाविकता को दर्शाती है।

10. एफ. आई. आर. प्रथम सूचना प्रतिवेदन से अभियोजन पक्ष की कहानी के प्रकाश में, वर्तमान मामले में, सबसे महत्वपूर्ण गवाह पीड़िता हैं, जो सूचना देने वाले की बेटी होती है, पीड़िता के साथी बच्चे 'एक्स' और 'वाई' जिन्हें पीड़ित की बहन और भाई कहा जाता है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, 'एक्स' और 'वाई' को अभियोजन पक्ष द्वारा निचली अदालत के समक्ष पेश और परीक्षण नहीं किया गया था, लेकिन पीड़ित को पी. डब्ल्यू. 1 के रूप में पेश और परीक्षण किया गया था।

11. बलात्कार के अपराध के समय पीड़ित को साढ़े तीन साल की नाबालिग लड़की कहा जाता है और अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पीड़िता एक सक्षम गवाह नहीं थी। लेकिन पीड़ित द्वारा अपने परीक्षण-इन-चीफ मुख्य परीक्षण में बताए गए तथ्यों से पता चलता है कि वह उन प्रासंगिक प्रश्नों को समझने में सक्षम थी जो निचली अदालत द्वारा उसके सामने रखे गए थे और यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि एक बच्चा एक सक्षम गवाह हो सकता है यदि वह उन प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है जो उसे दिए जाते हैं और वर्तमान मामले में, पीड़ित ने अपनी परीक्षा-इन-चीफ मुख्य परीक्षण में तर्कसंगत रूप से गवाही दी और इस संबंध में, मैंने उसकी परीक्षा-इन-चीफ मुख्य परीक्षण का अध्ययन किया। उसने अपदस्थ कर दिया कि वह, उसकी बहन और भाई अपने गाँव के बिल्लारी चौर में प्रकृति के आह्वान में भाग लेने गए थे और उसकी बहन और भाई के नाम 'एक्स' और 'वाई' थे और उस समय, सर्दी का महीना में उसे खून बहने लगा और खून देखकर वह रोने लगी और उसे उसके भाई और बहन घर ले आए और फिर उसने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया। उसने आगे कहा कि उसका एक अस्पताल में इलाज और जाँच की गई और आरोपी रमेश कुमार को उसके दूसरे नाम घेंघा से भी बुलाया जाता है। पीड़िता द्वारा दिए गए इन तथ्यों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह निचली अदालत के समक्ष अपना साक्ष्य दर्ज करने के समय एक सक्षम गवाह थी।

12. पी. डब्ल्यू. 2 के रूप में जाँच किए गए सूचना देने वाले ने बयान दिया कि कथित घटना 13.08.2018 को 10 बजे दिन में हुई थी और उस समय, वह अपने घर पर था और पीड़िता सहित उसके तीन बच्चे अपने गाँव के बिल्लारी चौर में प्रकृति की पुकार में भाग लेने गए और फिर आरोपी ने पीड़ित को उठाया और उसे ले गया और फिर उसके अन्य बच्चे 'एक्स' और 'वाई' दौड़ते हुए उसके घर आए और उसे अपीलार्थी के कृत्य के बारे में बताया और उसके बाद, वह अपनी बेटी की तलाश करने गया और फिर अपनी बेटी को खून बहते हुए देखा और उस समय, वह चलने में भी सक्षम नहीं थी और उसके बाद, वह गोराकोठी पुलिस स्टेशन/ थाना गया जहाँ से उसे सिवान के महिला पुलिस स्टेशन/ थाना

भेजा गया, जहाँ उन्होंने प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की और वहाँ से वे और एस. एच. ओ. सदर अस्पताल गए और उसके बाद, पीड़ि को पी. एम. सी. एच., पटना भेजा गया। गवाह ने जिरह में गवाही दी कि अपीलार्थी उसका सह-ग्रामीण है और वह उसे जानता है और उसने थाना जाने से पहले अपने गाँव के मुखिया से संपर्क किया तथा उसके बाद पंचायत की बैठक भी हुई, जिसमें अभियुक्त के परिवार ने पीड़िता के उपचार के लिए उसे 5000/- रूपये दिए, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था तथा उसके बाद उक्त साक्षी ने पुलिस थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज कराई। इस साक्षी के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि कथित घटना के समय पीड़िता के परिवार तथा अपीलकर्त्ता के परिवार के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था, इसलिए पीड़िता तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अपीलकर्त्ता के विरुद्ध इस प्रकार के जघन्य अपराध का झूठा आरोप लगाने का कोई कारण नहीं था तथा इस साक्षी द्वारा पीड़िता को लहुलुहान अवस्था में पाया गया। ये तथ्य पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों से पूरी तरह से मेल खाते हैं और यही साक्ष्य अन्य पी. डब्ल्यू संख्या 2,3,5 और 6 द्वारा भी दिए गए हैं और उन सभी ने यह बयान दिया है कि पीड़िता अपने भाई और बहन के साथ शौच के लिए गई थी और उसके बाद आरोपी/अपीलकर्त्ता ने उसके साथ बलात्कार किया, जिसके परिणामस्वरूप पीड़िता को रक्त श्रावित जख्म हुई। इन गवाहों ने इस तथ्य का समर्थन किया कि पीड़िता को रक्तस्राव की स्थिति में पाया गया और उसके बाद पीड़िता का इलाज सदर अस्पताल सिवान और पी.एम.सी.एच, पटना कराया गया।

13. पी. डब्ल्यू. 7, गंगा प्रसाद सिंह, जिन्होंने वर्तमान मामले की जांच की, ने अपने जाँच-इन-चीफ में बयान दिया कि पीड़ित के अंडरगारमेंट पर खून के दाग थे, जिसे पीड़ित की माँ ने पेश किया था, जिसे जब्त कर लिया गया था और जब्ती ज्ञापन तैयार किया गया था जिसे प्रदर्श-3 के रूप में चिह्नित किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता के अंडरगारमेंट को जांच के लिए एफएसएल भेजा गया था।

14. यहाँ, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि एफएसएल द्वारा भेजी गई पीड़ित के कपड़े की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और प्रदर्श 6 और 6/1 के रूप में चिह्नित की

गई थी। निचली अदालत के समक्ष 6 और 6/1 और एफएसएल की राय के अनुसार, पीड़ित के कपड़े पर खून के धब्बे पाए गए। एफएसएल विभाग द्वारा दिया गया उक्त निष्कर्ष भी अभियोजन पक्ष के आरोप के पक्ष में जाता है।

15. अभियोजन पक्ष की गवाह पी. डब्ल्यू. 8/डॉ. रीता सिन्हा, जिन्होंने पीड़िता की जाँच की, ने गवाही दी कि उसने जाँच के समय पीड़िता के शरीर पर निम्नलिखित घाव पाए:---

(i) दाहिने गाल पर दाहिनी आंख से लगभग 1 सेमी नीचे घर्षण।

(ii) नाक के बाईं ओर घर्षण के साथ सूजन।

(iii) निचले पेट और योनि पर कई खरोंच के निशान।

(iv) योनि और दोनों जांघों के सामने और अंदर रक्त के धब्बों की उपस्थिति।

(v) हाइमन/ झीली टूट गया।

(vi) वल्वा स्वेलॉन।

(vii) रक्तस्राव के साथ मौजूद फोरचेट।

(viii) निजी भाग पर लगभग 3 "**X** 1" मौजूद घौघ टुकड़ा।

डॉक्टर ने राय दी कि यौन हमला के प्रमाण थे।

16. कथित घटना के उसी दिन पीड़ित की जांच करने वाले चिकित्सा विशेषज्ञ ने पाया कि पीड़ित के निजी हिस्से सहित व्यक्ति पर उपरोक्त कई चोटें आई हैं और उक्त चोटें अभियोजन पक्ष के आरोप का पूरी तरह से समर्थन करती हैं।

17. हालांकि चिकित्सा विशेषज्ञ (पीडब्लू 8) के अवलोकन के अनुसार, कोई भी शुक्राणु मृत या जीवित नहीं पाया गया था, लेकिन केवल इस तथ्य से, पीड़ित द्वारा लगाए

गए बलात्कार के आरोप को गलत नहीं माना जा सकता है, विशेष रूप से कई चोटों की उपस्थिति में जो पीड़ित व्यक्ति पर पाई गई थीं।

18. उपरोक्त चर्चा किए गए तथ्यों और साक्ष्यों से दिखाई देने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय यह राय बनाता है कि अपीलकर्ता, पहले, पीड़िता को जबरन उठा लेता है और उसके बाद, उसके साथ बलात्कार करता है और पीड़िता के साथ बलात्कार के आरोप को चिकित्सा विशेषज्ञ की राय से समर्थन मिलता है, जिसकी पी. डब्ल्यू. 8 के रूप में जांच की गई थी और उसने पीड़ित की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट को साबित किया और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के आरोप का समर्थन करते हैं, इसलिए आक्षेपित निर्णय और आदेश कथित अपराधों के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराना और सजा सुनाना आरोपित किया। उचित और कानूनी प्रतीत होता है और इस न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। तदनुसार, तत्काल अपील खारिज कर दी जाती है।

19. फैसले की प्रति को तुरंत निचली अदालत के साथ-साथ आवश्यक होने पर संबंधित जेल प्राधिकारी को भेजा जाए।

20. एल. सी. आर. को संबंधित निचली अदालत में तुरंत वापस भेजा जाए।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

अन्नु/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।